उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या: 58/2020/2021/12-2-2020-1/2019
लखनऊ: दिनांक: 04 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश की सतत बढती आबादी के खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की उत्पादकता एवं गुणवत्ता के स्तर में निरन्तर वृद्धि आवश्यक है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को आकर्षक एवं लाभदायक तथा स्थानीय स्तर पर रोजागार के अवसर सृजित करने के उददेश्य से कृषकों, विशेषकर लघु, सीमान्त श्रेणी के कृषकों को संगठित कर कृषक उत्पादक संगठनों के गठन एवं प्रोत्साहन हेतु एक नीति निर्धारित की गयी है। कृषक उत्पादक संगठनों के माध्यम से गुणवत्तायुक्त कृषि निवेशों की सामयिक उपलब्धता एवं नवीनतम तकनीकी के प्रयोग से उत्पादन/उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि के साथ ही विपणन योग्य कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन कर लाभदायक मूल्य पर विक्रय कर सकेंगे।

2. कृषक उत्पादक संगठनों को उनके उत्पादों के प्रकार एवं इनकी मांग/पूर्ति की सम्भावनाओं के आधार पर क्लस्टर के रूप में गठित किया जायेगा, जो कृषक/प्राथमिक उत्पादों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन में सहायक सिद्ध हो तथा कृषि को उद्यमिता के रूप में स्थापित किया जा सके। इन संस्थागत संगठनों के माध्यम से राज्य/केन्द्र सरकर की योजनाओं का लाभ आसानी से संगठित कृषक समूहों तक पहुंचाया जा सकेगा तथा उनका क्षमतावर्धन कर उत्पादन एवं विपणन में गुणात्मक सुधार प्राप्त किया जा सकेगा।

3. इस सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 29 सितम्बर, 2020 द्वारा प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठनों के गठन, प्रोत्साहन एवं सुदृढीकरण हेतु उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति, 2020 निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4 में नीति के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश स्तरीय नोडल एजेन्सी नामित किए जाने की व्यवस्था है।

4. अतः कृषि उत्पादक संगठनों के गठन एवं उनके कार्यकलापों की समीक्षा तथा उन्हे उक्त योजनाओं का लाभ पहुंचाने एवं उनके कार्यकलापों में आने वाले कठिनाईयों को भी दूर किए जाने के दृष्टिगत राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई, मण्डल पर मण्डल स्तरीय परियोजना इकाई एवं जनपद स्तर पर जनपद स्तरीय परियोजना इकाई का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई:

क्र0सं0	नाम	पद
1	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग/उद्यान/पशुपालन/मत्स्य/ सहकारिता/ कृषि विपणन/ग्राम्य विकास/पंचायती राज)	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, न्याय विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	प्रतिनिधि नाबार्ड	सदस्य
5	संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	सदस्य
6	दो विशेषज्ञ, कृषि विश्वविद्यालय/संस्थान	सदस्य
7	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य सचिव
8	वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ	सदस्य

नोट: अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सदस्यों को नामित किया जा सकता है।

मण्डल स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई:-

क्र0सं0	नाम	पद
1	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2	संयुक्त कृषि निदेशक	संयोजक/सदस्य सचिव
3	अपर निदेशक, पशुपालन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
4	उप निदेशक, उद्यान विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
5	मण्डलीय उप कृषि निदेशक	सदस्य
6	उप निदेशक, मत्स्य विभाग	सदस्य
7	उप निदेशक, मण्डी परिषद	सदस्य
8	मण्डल के अन्तर्गत आने वाले कृषि विश्वविद्यालयों के निदेशक, प्रसार/मण्डलीय जनपद के कृषि विज्ञान केन्द्रों के अध्यक्ष	सदस्य
8	उप निदेशक, सहायक निबंधक एवं सहकारी समितियॉ	सदस्य
9	प्रक्षेत्र प्रबंधक अधिकारी	सदस्य-सचिव

नोट: अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सदस्यों को नामित किया जा सकता है।

जनपद स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई

क्र0सं0	नाम	पद
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	उप कृषि निदेशक	संयोजक/सदस्य सचिव
3	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
4	जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
5	सहायक निदेशक, मत्स्य/रेशम अधिकारी	सदस्य
6	मण्डी सचिव	सदस्य
7	जिला प्रबंधक, नाबार्ड	सदस्य
8	तीन विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केन्द्र, आत्मा स्थानीय उत्पादक संगठन	सदस्य

नोट: अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सदस्यों को नामित किया जा सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. उल्लेखनीय है कि एफ0पी0ओ0 (कृषक उत्पादक संगठन) के गठन एवं उनके कार्य कलापों की समीक्षा तथा उन्हे उक्त योजनाओं का लाभ पहुंचाने एवं कठिनाईयों को दूर किए जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 966/12-2-2020-1/2019 दिनांक 27 मई, 2020 द्वारा राज्य स्तरीय परामर्शी समिति एवं जिला स्तरीय परामर्शी समिति का गठन किया गया है।

दिनांक 27 मई, 2020 द्वारा गठित समिति एवं उपर्युक्त समिति के सदस्य लगभग समान हैं, अत: दोनों समितियों की बैठक यथासम्भव एक साथ ही आयोजित की जाए।

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 58/2020/2021 (1)/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग/उद्यान विभाग/पशुपालन विभाग/मत्स्य विभाग/सहकारिता विभाग/कृषि विपणन विभाग/ग्राम्य विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. विभागाध्यक्ष,कृषि/उद्यान/पशुपालन/मत्स्य/सहकारिता/कृषिविपणन/ग्राम्य विकास/पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
8. प्रबंध निदेशक, नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन0सी0डी0सी0) द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबंध निदेशक, नाबार्ड द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
10. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एल0एल0बी0सी0) द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
12. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
13. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, विभिन्न लाइन विभाग (कृषि/उद्यान/पशुपालन/मत्स्य /विपणन/सहकारिता) द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त जिला लीड बैंक (एल0डी0एम0) द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(विद्या शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।